न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

निर्णय मिसल नयाबत / 34 / 20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री धूड़ाराम, इन्द्राज पुत्र मांगूराम, बीरबल पुत्र हरफूल, रामदेव पुत्र श्योचन्द, रोताश पुत्र बालू, सीताराम, शीशराम पुत्र डेडाराम, भोलाराम पुत्र भागीरथ, लक्ष्मण, विद्याधर पुत्र श्योदान, बनवारीलाल पुत्र मूलाराम, ओमप्रकाश पुत्र मुखाराम, रामेश्वर, रघुवीर पुत्र श्योचन्द, उम्मेद पुत्र हरफूल, महावीर पुत्र बोदूराम वगै0 जाति जाट निवासीगण डंडावाली तन् नोरंगपुरा।

निर्णय दिनांकः– 18 दिसम्बर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजीर नही।आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है कि पटवारी हल्का नोरंगपुरा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम नोरंगपुरा स्थित राजकीय भूमि ख0न0 413 किस्म गै0मु0रास्ता के रकबा 50 वर्ग फीट में पत्थर डालकर कर श्री धूड़ाराम, इन्द्राज पुत्र मांगूराम, बीरबल पुत्र हरफूल, रामदेव पुत्र श्योचन्द, रोताश पुत्र बालू, सीताराम, शीशराम पुत्र डेडाराम, भोलाराम पुत्र भागीरथ, लक्ष्मण, विद्याधर पुत्र श्योदान, बनवारीलाल पुत्र मूलाराम, ओमप्रकाश पुत्र मुखाराम, रामेश्वर, रघुवीर पुत्र श्योचन्द, उम्मेद पुत्र हरफूल, महावीर पुत्र बोदूराम वगै0 जाति जाट निवासीगण डंडावाली तन् नोरंगपुरा के द्वारा दिनांक 08.06.2020 को मौके से बेदखल करने के उपरान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमीयो के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत प्रारूप 'क' में नोटिस जारी किया गया है कि क्योना उन्हे पश्चातवर्ती अतिक्रमण हेतु 3 माह के सिविल कारावास से भी दण्डित कर दिया जावे। जारी नोटिस के जवाब मे गैर सायलान ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उक्त भूमि पर उनका कोई अतिक्रमण नही है।

गैर सायलान के द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार पटवारी से मौका जांच रिपोर्ट ली गई, मौका जांच रिपोर्ट पटवारी दिनांक 10.11.2020 इस आशय की प्राप्त हुई है कि उक्त भूमि पर मुताबिक रिपोर्ट सभी अतिक्रमीयो ने अतिक्रमण किया था, परन्तु वर्तमान मे गैर सायलान का उक्त खसरा नम्बरान की भूमि मे कोई अतिक्रमण नही है। गैर सायलान के द्वारा स्वयं के द्वारा अपना अतिक्रमण हटा कर भूमि को खाली कर दिया है।

चूकि भूमि की किस्म राजस्थान सरकार की खातेदारी मे गै0मु0रास्ता दर्ज है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत अन्य प्रयोजनार्थ वर्जीत है। ऐसी स्थिति मे गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50 रूपये के आर्थीक दण्ड से गैर सायलान को दण्डित किया जाता है। गैर सायलान स्वयं के

भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर भूमि को खाली कर देने पर न्याय एवं व्यवहारिक दृष्टि से गैर सायलान विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण हेतु भी कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। गैर सायलान को हिदायत दी जाती है कि वह भविष्य मे किसी प्रकार से भूमि पर अतिक्रमण नही करे। टी.आर.ए. एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। तथा भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। टी.आर.ए. एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे।

पत्रावली फैसल–सुमार होकर नम्बर से कम हो। तथा बाद तक्मील जाप्ता दाखील दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021
पृष्ठ नं. 48 पर राशि 50/-
कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
25/12/20